न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी – मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2024/246

1. गोविन्द आत्मज स्वर्गीय सुखलाल उर्फ सुखा जाति मीणा
2. पुष्पा बाई पत्नी स्वर्गीय सुखलाल उर्फ सुखा जाति मीणा
3. जमोदरी पुत्री स्वर्गीय सुखलाल उर्फ सुखा जाति मीणा
4. सीता बाई पुत्री स्वर्गीय सुखलाल उर्फ सुखा जाति मीणा
   निवासीगण ग्राम बेजपुर तहसील पीपल्दा जिला कोटा

– अपीलांटगण

बनाम

1. रामप्रसाद आत्मज श्रीकिशन जाति मीणा
2. कान्हा आत्मज श्री किशन जाति मीणा
3. हेमराज आत्मज श्रीकिशन जाति मीणा
4. छोटा बाई पुत्री श्री किशन जाति मीणा
   निवासीगण ग्राम बेजपुर तहसील पीपल्दा जिला कोटा
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार पीपल्दा कोटा

–रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस–1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक अपीलांट की ओर से ।

निर्णय **दिनांक 10.03.2025**

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 84/2014 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 05.09.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि वादीगण अपीलांटगण द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 90, 92(ए), 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर कथन किया कि ग्राम बेजपुर पटवार हल्का मियाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा की खतौनी सं० नई 5 अन्तर्गत ख0नं0 212 रकबा 0.01 है0, 213 रकबा 0.08 हे0, 370 की 2.78 है0, 380/610 रकबा 0.10 है0, 381/611 रकबा 0.04 है0, 452 की 0.14 है0, 454 की 0.51 है0, 455 की 0.73 है, 540 की रकबा 3.15 है0, 540/614 रकबा 0.15 है0, 540/615 रकबा 0.04 है0, 541/617 रकबा 0.16 है0 कुल किता 12 कुल रकबा 7.89 हैक्टर कृषि आराजीयात स्थित

है। जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 संयुक्त रूप से कब्जा काश्त चले आ रहे है। उक्त वर्णित कृषि आराजी को वाद पत्र में आगे वादग्रस्त आराजी के नाम से सबोधित किया गया है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण का पारिवारीक सजरा परिवार प्रस्तुत किया। वाद पत्र मे वर्णित कृषि आराजीयात वस्तुत वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पितामह स्व० रघुनाथ पुत्र भैरू मीणा निवासी बेजपुर की कृषि सम्पत्ति है जिस पर वंशानुगत कम मे संयुक्त हिन्दू अविभाज्य सम्पत्ति के धारक के रूप मे वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पिता अपने जीवनकाल एवं उनकी मृत्यु के पश्चात वादीगण एवं प्रतिवादीगण आपसी समझ एवं सहमति से कब्जा काश्त है। वादीगण एव प्रतिवादीगण के पितामह स्व० रघुनाथ पुत्र भैरू मीणा के अन्तर्गत कुल 63 बीघा 12 बिस्वा कृषि भूमि स्थित थी। स्व० रघुनाथ के फोत हो जाने के पश्चात प्रथम सैटलमेन्ट ऑपरेशन दौरान वादीगण के पिता स्व० सुखलाल उर्फ सुक्खा के नाबालिग होने के कारण उक्त कृषि भूमि पर केवल मात्र बडे भाई स्वर्गीय श्रीकिशन का ही नाम दर्ज कर दिया गया एवं सुखलाल उर्फ सुक्खा का नाम तत्कालीन राजस्व रिकार्ड मे दज नहीं किया गया। जिसका तत्कालीन राजस्व प्रविष्टियो एव सैटलमेन्ट विभाग को कोई अधिकार प्राप्त नही था । वादी के पिता को अज्ञानता एवं अशिक्षितता वश उक्त राजस्व रिकार्ड की जानकारी प्राप्त नहीं होने से दोनो भाई संयुक्त काश्त करते रहे एवं वादीगण के पिता को उक्त राजस्व प्रविष्टियो मे अपने नाम बतौर खातेदार दर्ज नही होने की जानकारी प्राप्त होने पर प्रतिवादीगणो के पिता स्व०श्रीकिशन द्वारा तहसील चल कर नाम दर्ज करवाने का लगातार वादीगण के पिता का नाम बतौर खातेदार उक्त राजस्व रिकार्ड मे बतौर खातेदार दर्ज नहीं किया गया । वादीगण के पिता स्व० सुखलाल उर्फ सुक्खा के अल्पावस्था मे फौत हो जाने से उक्त राजस्व प्रविष्टियो आदि में कोई परिवर्तित नही हो पाई है एव उक्त कृषि भूमियो मे स्व० श्री किशन एव उनके निधन के पश्चात से प्रतिवादीगण का नाम बतौर खातेदार दर्ज चला आ रहा है। प्रतिवादीगणो क पिता स्व० श्रीकिशन के फोत हो जाने के पश्चात मुताबिक बाहमी समझौता वादीगण एवं प्रतिवादीगण उक्त कृषि आराजी मे से खेत तेलीया वाला ख०न० 172 मि०न० रकबा 21 बीघा 13 बिस्वा हाल ख0नं0 540 रकबा 3.15 है०, ख0नं0 540/614 रकबा 0.15 है०, व ख0न0 540/615 रकबा 0.04 है0, ख0न0 541/612 रकबा 0.16 है0. कृषि भूमि पर वादीगण के हिस्से में दी गई वादीगण उक्त वर्णित भूमि पर अपने स्व० पिता व ताउ के जीवनकाल मे ही उक्त कृषि भूमि पर काबिज काश्त है। वादीगणो द्वारा प्रतिवादीगणो से कई बार तहसील कार्यालय मे चल कर उक्त राजस्व प्रविष्टियो को संशोधित करने हेतु निवेदन किया जाता रहा है किन्तु प्रतिवादीगणो द्वारा बार बार टालमटोल किया जाता रहा है और बाहमी समझौते के मुताबिक वादीगणो का नाम बतौर खातेदार दर्ज करवाये जाने का लगातार आश्वासन दिया जाता रहा है। वादीगणो द्वारा राजस्व रिकार्ड की अद्यतन जानकारी प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ है कि प्रतिवादीगणो द्वारा वादीगणो के कब्जे काश्त की कृषि भूमि पर भीरहन दर्ज करवा दिया गया है। और उक्त कृषि भूमियो को भी ऋणभीन कर दिया गया है। इस बाबत वादीगणो द्वारा प्रतिवादीगणो को कहने पर प्रतिवादीगणो द्वारा कहा गया कि वह अपने नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड का इसी प्रकार का लाभ

उठायेगे। और आवश्यकता होने पर उक्त कृषि भूमियो को खुर्द बुर्द कर देंगे। वादीगणो को उक्त घटनाक्रम मे यह लाजमी हो गया है कि वह माननीय न्यायालय की सहायता से उक्त राजस्व रिकार्ड में अपने नाम की प्रविष्टि दर्ज करवानेद हेतु वाद पत्र प्रस्तुत कर घोषणा की डिक्री मय आदेश प्राप्त करे। वादीगणो द्वारा प्रतिवादीगणे को अन्तिम बार राजस्व रिकार्ड परिवर्तित करने हेतु विगत दिनाक 20/10/014 को निवेदन करने पर प्रतिवादीगणो द्वारा साफ इन्कार कर दिया गया कि वादीगण अपनी इच्छानुसार कार्यवाही करे, प्रतिवादीगण तहसील कार्यालय में उपस्थित होकर उक्त राजस्व प्रविष्टियो मे वादीगणो की कब्जे काश्त की उक्त वर्णित कृषि भूमियो पर बतौर खातेदार प्रविष्टि दर्ज नही करवायेगे एवं कृषि भूमियो को शीघ्र ही अन्तरित कर देगे। वादीगणो को यह अधिकार प्राप्त है कि वह माननीय न्यायालय के समक्ष वाद पत्र प्रस्तुत कर अपनी एन्सेल्टस सम्पत्ति मे अपने हित व हिस्से की वाद पत्र में वर्णितानुसार घोषणा एवं अपने हिस्से पर प्रतिवादीगणो के विरूद्ध घोषणा का आदेश मय डिक्री प्राप्त करे। वादीगणो द्वारा इस आशय की जानकारी प्राप्त होने पर विगत दिनाक 28/10/014 को प्रतिवादी कम 5 तहसीलदार महोदय पीपल्दा को उक्त प्रविष्टियो को तदनुसार संशोधित करने हेतु निवेदन करने पर उनके द्वारा न्यायालय श्रीमान के समक्ष वाद पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है। विगत दिनाक 20/10/014 को प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 द्वारा वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड मे बतौर खातेदार दर्ज करवाने से साफ इन्कार करने एवं राजस्व रिकार्ड को अन्यत्र अन्तरित करने की धमकियों देने तथा राज्य शासन के प्रतिनिधि तहसीलदार पीपल्दा द्वारा विगत दिनाक 28/10/014 को न्यायालय श्रीमान के समक्ष घोषणा हेतु वाद पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किये जाने से वादीगणो को प्रस्तुत वाद का वाद कारण लगातार उत्पन्न है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निम्न विनयी है कि वादीगणो के पक्ष मे बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निग्न आशय की सादर डिक्री मय आंदेश सादर पारित फरमाई जावे कि– वादीगणो को उनकी पेत्रक कृषि आराजी मे ग्राम बेजपुर खतौनी सं० 5 की ख0नं0 540 रकबा 3.15 है0, 541/612 की 0.15 है0, 540/615 की 0.04 है0, 541/612 रकबा 0.16 है०, कुल किता 4 रकबा 3.50 हैक्टर का खातेदार कृषक घोषित किया जावे। प्रतिवादी कम 5 तहसीलदार पीपल्दा को तदनुसार पालना एवं राजस्व रिकार्ड मे बतौर खातेदार प्रविष्टिया संशोधित किये जहाने तथा पृथक लगानी जमाबन्दी कायम किये जहाने हेतु गय डिक्री आदेशित फरमाया जावे। प्रतिवादीगणो के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री मय आदेश प्रसारित की जावे कि वह स्वयं अथवा जर्ये प्रतिनिधिगण वादीगणो के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की उक्त वर्णित कृषि भूमियो मे किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न नही करे। वाद व्यय एव अन्य न्यायोचित सहायता वादीगण को प्रदान की जावे।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 05.09.2024 को वादीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र खारिज किए जाने की निर्णय व डिक्री पारित की ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.09.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 05.09.2024 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय दिनांक 05.09.2024 को निरस्त फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना में रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। दौराने बहस रेस्पोडेन्ट व उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहने से विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

6. अपील के विचाराधीन रहते हुए विद्वान अधिवक्ता अपीलांट प्रार्थी की ओर से प्रार्थना–पत्र वास्ते दस्तावेज रिकॉर्ड पर लिए जाने बाबत प्रस्तुत किया जाकर निवेदन किया कि प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज प्रकरण से सुसंगत है तथा अपील के न्यायिक निस्तारण में सहायक है। प्रस्तुत दस्तोवजों की सत्यता पर किसी प्रकार का सन्देह नहीं किया जा सकता। न्यायहित में उक्त दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिया जाना आवश्यक है। अन्त में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिए जाने का निवेदन किया।

हमने प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज प्रकरण से सुसंगत होना प्रतीत होते है अतः न्यायहित में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिया जाता है।

7. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस मे अपील मेमो में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय का आदेश एवं डिक्री विधि न्याय एवं संचिका में सिद्धी प्राप्त तथ्यो के सर्वथा विपरीत है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटगण को समुचित सुनवायी एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलान्ट का दावा खारिज कर दिया जो

सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एवं कानूनी नजीरो का गुणावगुण पर अवलोकन किये बिना ही दावा अपीलान्ट खारिज कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई ध्यान नही दिया कि ग्राम बेजपुरा पटवार हल्का मियान, तहसील पीपल्दा जिला कोटा स्थित कुल 12 किता की 7.89 हैक्टर आराजी स्थित है। आराजी वादीगण के पितामह रघुनाथ आत्मज भैरूलाल जी मीणा के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी है जो रघुनाथ जी की मृत्यु के बाद श्रीकिशन जी बडे पुत्र होने व वादीगण के पिता सुखलाल उर्फ सुखा नाबालिग होने से श्रीकिशन जी के नाम दर्ज करदी, और श्रीकिशन जी की मृत्यु बाद रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज करदी। इस प्रकार श्रीकिशन जी एवं सुखलाल पुत्र सुखा दोनो सगे भाई है, तथा रघुनाथ आत्मज भैरूलाल जी के पुत्र है, जिनके बीच में बाहमी समझोता से अपीलान्ट के पिता को खसरा नम्बर 172 रकबा 21 बीघा 13 बिस्वा के बाद सेटलमेन्ट नवीन खसरा नम्बर 540 खसरा नम्बर 540/614, खसरा नम्बर 540/615, खसरा नम्बर 541/612, की भूमि प्राप्त होने से हमेशा की भाँति आज भी वादीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण की गरीबी अज्ञानता से प्रतिवादीगण द्वारा बैक मे रहन रखने की जानकारी होने पर वाद प्रस्तुत किया जिसका खण्डन रेस्पोडेन्ट द्वारा कानूनी दस्तावेजो के आधार पर प्रस्तुत नहीं करने के बावजूद भी दावा अपीलान्ट खारिज कर दिया जो कि सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट का नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज नही होने के कारण दावा वादीगण खारिज किया है जो त्रुटि पूर्ण है जबकि वादीगण ने अपने वाद पत्र को दस्तावेजी साक्ष्यो द्वारा साबित किया है कि वादीगण के पिता के स्वर्गवास के समय नाबालिग होने के कारण श्रीकिशन द्वारा राजस्व कर्मचारियो से मिली भगत कर नाम दर्ज करवाया है प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है कि उक्त आराजी श्रीकिशन जी द्वारा खरीद की हो अथवा उन्हे किसी से आराजी प्राप्त हो। उक्त आराजी रघुनाथ आत्मज भैरूलाल जी की आराजी है जो रघुनाथ जी की मृत्यु के बाद श्रीकिशन के नाम खरीद की गयी है। किन्तु रघुनाथ जी के दूसरे पुत्र अपीलान्ट के पिता सुखलाल उर्फ सुखा होने के बावजूद भी नामदर्ज नहीं किया और इसी आधार पर वादीगण द्वारा घोषणा खातेदारी का वाद एवं इन्द्राज दुरूस्ती का वाद प्रस्तुत किया गया। वादपत्र को यादीगण द्वारा स्वयं की साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य द्वारा प्रमाणित किया है इसके बाजवूद भी वादीगण का वाद खारिज कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई ध्यान नही दिया कि प्रतिवीदीगण द्वारा वाद पत्र की मद नम्बर 2 में वर्णित सजरे को स्वीकार किया है इससे स्पष्ट है कि श्रकिशन एवं सुखलाल उर्फ सुखा दोनो सगे भाई है और रघुनाथ आत्मज भैरूलाल के पुत्र है। कुल 63 बीघा 12 बिस्वा आराजी स्थित थी जो सम्पूर्ण आराजी श्रीकिशन के नाम दर्ज रिकार्ड है। श्रीकिशन का दूसरा भाई अपीलान्ट के पिता सुखलाल उर्फ सुखा के 63 बीघा 12 बिस्वा मे से एक भी जमीन आराजी नाम दर्ज नही है। इससे साबित है कि नाबालिग अवस्था मे राजस्व कर्मचारियो द्वारा सुखलाल उर्फसुखा का नाम सहवन से दर्ज नहीं किया गया और जिसके आधार पर अपीलान्ट

द्वारा घोषणा खातेदारी का वाद प्रस्तुत किया गया जिसका रेस्पोडेन्ट द्वारा खण्ड नहीं करने पर भी वादीगण का वाद खारिज कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई ध्यान नही दिया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई बयान दर्ज नही किये गये तथा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से एवं की गई जिरह से अपीलान्ट द्वारा यह प्रमाणित किया है कि आपीलान्ट बहामी बटवारे से प्राप्त आराजी पर आज भी मौके पर पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। अपीलान्ट की साक्ष्य अखण्डनीय रहने के बावजूद भी अपीलान्ट का दावा खारिज कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई ध्यान नही दिया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत विशेष कथन मय काउन्टर क्लेम की मद नम्बर 5 में वर्णित वादीगण को बहामी बटवारे वाली आराजी किरायेपर दी हो इस बाबत न तो प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है और न ही अपने कथन को सिद्ध किया गया है, जिससे प्रमाणित है कि मद नम्बर 5 में वर्णित आराजी बहामी बटवारे से अपीलान्ट के पिता को प्राप्त हुयी है और काबिज काश्त है। इसके उपरान्त भी वादीगण का वाद खारिज कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नम्बर 1, 2, 3, को शामिल कर आदेश प्रदान किया है जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। जबकि उक्त तीनो तनकीयो का पृथक–पृथक विवेचन गुणावगुण पर किया जाना चाहिये था। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी नम्बर 4, 5. 6. प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय करने से प्रतिवादीगण का काउण्टर क्लेम खारिज किया है इस प्रकार तनकी नम्बर 4 आया वादीगण का वादग्रस्त आराजी पर कोई कब्जा स्वामित्व नही है। एवं तनकी नम्बर 6 आया वादीगण को कोई वादकारण उत्पन्न नही हुआ है। प्रतिवादीगण के विरूद्ध उक्त दोनो तनकीयां तय की गयी है। और वादीगण के पक्ष में निर्णित हुयी है किन्तु फिर भी वादीगण का वाद खारिज कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के वर्णित आराजी के रिकॉर्ड को देखकर पैतृक सम्पत्ति होना मानलिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोईध्यान नहीं दिया कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी तनकी नम्बर 6 के अनुसार वादीगण को कोई वाद कारण उत्पन्न नही हुआ है। प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की है। एवं वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य कोई विवाद होना जाहिर नही मानकर दावा खारिज किया है, जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है, कारण की वादीगण एवं प्रतिवादीगण के दावा रघुनाथ आत्मज भैरूलाल जी है। जिनको रेस्पोडेन्ट द्वारा इंकार नहीं किया है। इससे प्रमाणित है कि वर्णित आराजी श्रीकिशन, एवं सुखाउर्फ सुखलाल के सम्भाग से नाम दर्ज होना चाहिये था, और दोनो भाईयो द्वारा बहामी बटवारा किया गया, बटवारे मे प्राप्त आराजी पर आज भी अपीलान्टा का कब्जा चला आ रहा है। उक्त बिन्दु अपीलान्ट द्वारा साबित कर दिये जाने के बावजूद भी दावा खारिज कर दिया जो कि त्रुटि पूर्ण है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 05.09.2024 निरस्त किए जाने का निवेदन किया। साथ ही वादीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत वाद डिक्री किए जाने का निवेदन किया।

8. हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों व राजस्व रिकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत वाद में ग्राम बेजपुर तहसील पीपल्दा की खाता संख्या 5 की खसरा नम्बर 212, 213, 370, 380/610, 381/611, 452, 454, 455, 540, 540/614, 540/615, 541/617 कुल किता 12 कुल रकबा 7.89 हैक्टेयर भूमि स्वयं की पैतृक सम्पत्ति होने का कथन किया है तथा प्रश्नगत खसरा नम्बर 540, 541/612, 540/615, 541/612 कुल किता 4 कुल रकबा 3.50 हैक्टेयर भूमि के सम्बंध में हक घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। अपीलांटगण का कथन है कि प्रश्नगत भूमि उनके पितामह रघुनाथ पुत्र भैरू मीणा की भूमि है, रूघनाथ के दो पुत्र सुखलाल व उर्फ सुखा तथा श्रीकिशन हुए तथा रूघनाथ की मृत्यु के पश्चात वादग्रस्त भूमि गलत रूप से प्रथम सेटलमेंट के दौरान अकेले श्रीकिशन के नाम दर्ज कर दी गई जो त्रुटिपूर्ण है। जमाबंदी भू–प्रबन्ध सम्वत् 2009 से 2028 के अनुसार ग्राम बैजपुर तहसील पीपल्दा की खाता संख्या 39 में दर्ज खसरा नम्बर 94, 126, 130, 147, 172 कुल किता 5 कुल रकबा 63 बीघा 14 बिस्वा भूमि श्रीकिशन वल्द रूगनाथ मीना सा. देह की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबन्ध सम्वत 2041 से 2060 के अनुसार गत खसरा नम्बर 94, 126, 130, 147 व 172 कुल किता 5 कुल रकबा 63 बीघा 14 बिस्वा के नवीन खसरा नम्बर 212, 213, 370, 380/610, 381/611, 452, 454, 455, 540, 540/614, 540/615, 541/612 कायम किए गए है तथा जमाबंदी सम्वत् 2068 से 2071 के अनुसार ग्राम बेजपुर तहसील पीपल्दा की खाता संख्या 5 की खसरा नम्बर 212, 213, 370, 380/610, 381/611, 452, 454, 455, 540, 540/614, 540/615, 541/617 कुल किता 12 कुल रकबा 7.89 हैक्टेयर प्रश्नगत भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। अतः यह तथ्य दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित है कि जमाबंदी सम्वत् 2009 से 2028 में वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के पिता श्रीकिशन वल्द रूगनाथ की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड रही है। वादीगण अपीलांटगण के ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिसमें वादग्रस्त भूमि उनके दादा रूगनाथ के खाते दर्ज होना प्रमाणित होता हो। अपीलांटगण वादीगण अपने कथनों के समर्थन में वादीगण अपीलांटगण की ओर से जमाबंदी खाता मौजा बैजपुरा तहसील पीपल्दा सम्वत् 2003 प्रस्तुत की है जिसके अनुसार ग्राम बैजपुर की खाता संख्या 18 की 63 बीघा 12 बिस्वा भूमि रूघनाथ वल्द भैरू मीना की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है परन्तु अपीलांटगण द्वारा जमाबंदी सम्वत् 2003 की खाता संख्या 18 रकबा 63 बीघा 12 बिस्वा भूमि का कोई मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत नहीं किया गया है अतः ऐसी स्थिति में यह निर्धारित किया जाना संभव नहीं है कि जमाबंदी सम्वत् 2003 की खाता संख्या 18 रकबा 63 बीघा 12 बिस्वा भूमि के नवीन खसरा नम्बर 212, 213, 370, 380/610, 381/611, 452, 454, 455, 540, 540/614, 540/615, 541/612 कायम किए गए हो। प्रश्नगत भूमि भू–प्रबन्ध से पूर्व एवं भू–प्रबन्ध के पश्चात रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के पिता श्रीकिशन के नाम दर्ज रिकॉर्ड रही है। अपीलांटगण ने ऐसा

कोई दस्तावेज/राजस्व रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया है जिसमें वादग्रस्त भूमि उनके पिता अथवा दादा के नाम दर्ज होना प्रमाणित होता हो। वादग्रस्त आराजी सेटलमेंट से पूर्व प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण के पिता श्रीकिशन के खाते दर्ज रही है अतः वादीगण अपीलांटगण का वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड की प्रविष्टियों में सेटलमेन्ट विभाग द्वारा परिवर्तन किए जाने का कथन प्रमाणित नहीं होता है। वादीगण अपीलांटगण द्वारा उनके दादा रूगनाथ के खाते दर्ज भूमि के खसरा नम्बरान का कोई मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत नहीं किया गया है अतः यह रूगनाथ के खाते दर्ज भूमि के भू–प्रबन्ध के पश्चात नवीन खसरा नम्बर 212, 213, 370, 380/610, 381/611, 452, 454, 455, 540, 540/614, 540/615, 541/612 कायम किया जाना प्रमाणित नहीं है। वादीगण अपीलांटगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसमें वादग्रस्त भूमि उनके पिता सुखलाल उर्फ सुखा की खातेदारी में दर्ज होना प्रमाणित होता हो। अतः वादग्रस्त भूमि अपीलांटगण की पैतृक सम्पत्ति होना प्रमाणित नहीं होता है। वादीगण अपीलांटगण वादपत्र एवं अपील में अंकित कथनों को प्रमाणित करने में असफल रहे है अतः अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत वाद एवं अपील खारिज किए जाने योग्य है। हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 05.09.2024 में वादीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत वाद खारिज किए जाने का जो आदेश अंकित किया है वह विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 05.09.2024 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

9. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 84/2014 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 05.09.2024 यथावत रखी जाती है।

10. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलंब लौटाई जाए।

11. निर्णय आज दिनांक 10.03.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

10/3/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा

Judl/Govt.
Part 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास मुरलीधर प्रतिहार, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2024/246

1. गोविन्द आत्मज स्वर्गीय सुखलाल उर्फ सुखा जाति मीणा
2. पुष्पा बाई पत्नी स्वर्गीय सुखलाल उर्फ सुखा जाति मीणा
3. जमोदरी पुत्री स्वर्गीय सुखलाल उर्फ सुखा जाति मीणा
4. सीता बाई पुत्री स्वर्गीय सुखलाल उर्फ सुखा जाति मीणा
   निवासीगण ग्राम बेजपुर तहसील पीपल्दा जिला कोटा

– अपीलांटगण

बनाम

1. रामप्रसाद आत्मज श्रीकिशन जाति मीणा
2. कान्हा आत्मज श्री किशन जाति मीणा
3. हेमराज आत्मज श्रीकिशन जाति मीणा
4. छोटा बाई पुत्री श्री किशन जाति मीणा
   निवासीगण ग्राम बेजपुर तहसील पीपल्दा जिला कोटा
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार पीपल्दा कोटा

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

–रेस्पोडेन्टगण

वादपत्र संख्याः 84/2014

1. गोविन्द आत्मज स्वर्गीय सुखलाल उर्फ सुखा जाति मीणा
2. पुष्पा बाई पत्नी स्वर्गीय सुखलाल उर्फ सुखा जाति मीणा
3. जमोदरी पुत्री स्वर्गीय सुखलाल उर्फ सुखा जाति मीणा
4. सीता बाई पुत्री स्वर्गीय सुखलाल उर्फ सुखा जाति मीणा
   निवासीगण ग्राम बेजपुर तहसील पीपल्दा जिला कोटा

——वादी

बनाम

1. रामप्रसाद आत्मज श्रीकिशन जाति मीणा
2. कान्हा आत्मज श्री किशन जाति मीणा
3. हेमराज आत्मज श्रीकिशन जाति मीणा
4. छोटा बाई पुत्री श्री किशन जाति मीणा
   निवासीगण ग्राम बेजपुर तहसील पीपल्दा जिला कोटा
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार पीपल्दा कोटा

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद संख्या 84/2014 में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 05.09.2024 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. उक्त अपील तारीख 10.03.2025 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से विद्वान् अभिभाषक श्री घनश्याम नागर के उपस्थित होने पर यह आदेश दिया कि अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 05.09.2024 यथावत रखी जाती है।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है।

4. यह डिक्री आज तारीख 10.03.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा